(55)

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व रिवीजन क्रमांक R 7-I-17 /2016 जिला नरसिंहपुर

पुन्नू लाल ठाकुर (गौंड)
आत्मज आशाराम ठाकुर
निवासी ग्राम कोरेगांव, तहसील गोटेगांव,
जिला नरसिंहपुर म.प्र.

...... आवेदक

विरुद्ध

म. प्र. शासन
द्वारा - कलेक्टर, नरसिंहपुर

...... अनावेदक

द्वारा आज दि. 31-12-16 को प्रस्तुत
31-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
31/12/16
912 31/12/16

कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2016 से व्यथित होकर निगरान अंतर्गत धारा - 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959.

रिवीजन के तथ्य

1. यहकि, आवेदक आदिवासी गौड़ जाति का है । आवेदक मोजा छोटा छिंदवाड़ा प.ह.नं. 45 नं.बं. 1754, तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 37/8 रकबा 0.395 हैक्टर का भूमिस्वामी मालिक काबिजदार है तथा आवेदक का नाम

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - 07-एक/17 जिला - नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29-11-16 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम छोटा छिंदवाड़ा प.ह.नं. 45/16 नं.बं. 175 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर खसरा नंबर 37/8 रकबा 0.395 हैक्टर गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि क हस्ताक्षर
	कलेक्टर द्वारा पुनः कुछ बिंदुओं पर प्रतिवेदन हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः तहसीलदार से जांच कराक अनुशंसा सहित प्रतिवेदना कलेक्टर को भेजा । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस आधार पर आवेदन निरस्त किया गया है कि आवेदक के पास 0.790 हैक्टर भूमि आवेदित भूमि को विक्रय के उपरांत शेष बचेगी जिससें उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पायेगा । कलेक्टर के आदेश के संबंध आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदित भूमि उसकी पैत्रिक भूमि नहीं है ना हीउक्त भूमि शासन से पट्टें पर प्राप्त भूमि है । आवेदक द्वाराआवेदित भूमि को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 17-11-15 द्वारा क्रय किया गया है । आवेदक द्वारा पुत्री की शादी एवं अन्य निजी कर्ज की अदायगी हेतु उसे उचित प्रतिफल मिलने के कारण भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है । कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को देखा किया है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिवेदनों को अनदेखा किया है । प्रकरण में जो प्रतिवेदन तहसील न्यायालय का है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । चूंकि आावेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में उसे, उसकी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में ज़िलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-11-16	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 07–एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम छोटा छिंदवाड़ा प.ह.नं. 45/16 न. बं. 175 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर खसरा नंबर 37/8 रकबा 0.395 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :- 1– यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	